सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

12 श्रावण, 1940 (श०)

संख्या- 760 राँची, शुक्रवार 3 अगस्त, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

15 फरवरी, 2018

संख्या-5/आरोप-1-27/2016-146 (HRMS)-- श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध निम्नवत निर्णय लिए गए हैः

Sr No.	Employee Name (G.P.F. No.)	Decision of the Competent Authority
1	ARJUN RAM (JHK/JAS/149)	श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से०(तृतीय बैच गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित को सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है ।

<u>विवरणः</u>

श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा, लातेहार, सम्प्रति-निलंबित के विरूद्ध उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-326/डी०आर०डी०ए०, दिनांक 25 फरवरी, 2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गाठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री राम के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-1- श्री अर्जुन राम, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा द्वारा दिनांक 21 अगस्त, 2014 को एक ही एजेंसी (प्रो० संतोष कुमार गुप्ता, चुटिया, राँची) को इंदिरा आवास योजना के तहत चेक संख्या-51239 से 51247 तक कुल नौ चेक के द्वारा 41,69,880/- (एकतालीस लाख उनहतर हजार आठ सौ अस्सी) रू० भुगतान करने के संबंध में माननीय विधायक श्री प्रकाश स०वि०स०, लातेहार विधान सभा क्षेत्र द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2016 को विधान सभा में तारांकित प्रश्न संख्या-112 द्वारा इस मामले को सदन में उठाया गया ।

आरोप सं०-2- वर्ष 2010 के पूर्व लाभुकों को इंदिरा आवास की राशि में से धूम्ररहित चुल्हा, शौचालय (पैन बगैरह) के लिए 780/-रू० की राशि कटौती कर शेष राशि लाभुक को भुगतान किया जाता था तथा उक्त सामग्री की आपूर्ति निविदा/एजेंसी के माध्यम से की जाती थी । योजना बंद होने के बावजूद लातेहार जिला के चंदवा प्रखण्ड के तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री अर्जुन राम द्वारा दिनांक-21 अगस्त, 2014 को एक ही एजेन्सी/एन०जी०ओ० (प्रो० संतोष कुमार गुप्ता, चुटिया, राँची) को चेक संख्या-51239 से 51247 तक एवं चेक संख्या-123761 से यानि कुल दस चेक द्वारा 41,69,880/- (एकतालीस लाख उनहतर हजार आठ सौ अस्सी) रू० लाख रू० की राशि की भुगतान की गई है । इस मामले में लाभुकों को आपूरित धूम्ररहित चुल्हा, शौचालय (पैन बगैरह) एवं आवास बोर्ड का भौतिक सत्यापन यादृच्छिक रूप से कराया गया, जिसमें लाभुकों द्वारा बतलाया गया कि उक्त सामग्री उन्हें नही दी गयी है ।

श्री अर्जुन राम प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ के द्वारा प्रखण्ड बालूमाथ में भी बगैर निविदा के ही एक ही एजेंसी/एन०ज०ओ० (प्रो० संतोष कुमार गुप्ता, चुटिया, राँची) को आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय वर्ष में चयनित 6,031 लाभुकों के लिए धूम्ररहित चुल्हा, शौचालय (पैन बगैरह) के लिए 700/- रू० प्रति लभुक की दर से कुल 42,21,700/-(बयालीस लाख इकीस हजार सात सौ) रू० का भुगतान किया गया है, जो सरकारी प्रावधान का घोर उल्लंघन है तथा वित्तीय अनियमितता का घोतक है ।

आरोप सं०-3- वित्त विभाग के निदेशानुसार 1,50,000.00 रू० से ऊपर की सामग्री आपूर्ति करने हेतु निविदा करने का प्रावधान है, जबकि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा इस प्रावधान का स्वेच्छाचारिता के साथ उल्लंघन करते हुए 41,69,880/- (एकतालीस लाख उनहतर हजार आठ सौ अस्सी) रू० की राशि प्रखण्ड चन्दवा से एवं प्रखण्ड बालूमाथ में 42,21,700/- (बयालीस लाख इकीस हजार सात सौ) रू० का सामग्री आपूर्ति करने के लिए एक ही एजेंसी मेसर्स सर्वश्री एस०के० ट्रेडर्स के प्रो० श्री संतोष कुमार गुप्ता को तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा के आदेश ज्ञापांक 686, दिनांक 5 अगस्त, 2014 द्वारा दिया गया है ।

पुनः श्री राम के विरूद्ध एक अन्य मामले में उपायुक्त, लातेहार के पत्रांक-1394, दिनांक 26 जुलाई, 2016 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें श्री राम के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये हैं-

आरोप सं०-4 (द्वितीय आरोप पत्र का आरोप सं०-1) - अमर टेन्ट हाउस बालूमाथ के प्रो० श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2015 में पार्टी मिलान हेतु +2 उच्च विद्यालय, बालुमाथ में टेण्ट शामियाना, माईक, स्टेज एवं भोजन आदि की व्यवस्था हेतु कुल 15,16,769/- का विपत्र

डी०पी०आर०ओ० कार्यालय, लातेहार में भुगतान हेतु जमा किया गया, इसकी सत्यापन हेतु प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ को भेजा गया, परन्तु समर्पित विपत्र में किसी प्रकार का कोई कटौतियां नहीं करते हुए श्री अर्जुन राम के द्वारा विपत्र का सत्यपन कर दिया गया । उक्त विपत्र का सत्यापन के एवज में अमर टेण्ट हाउस के प्रो० श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता द्वारा तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ पर मो० 1.00 लाख रू० रिश्वत लेने का लिखित आरोप लगाया गया है ।

आरोप सं०- 5 (द्वितीय आरोप पत्र का आरोप सं०-2)- तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ श्री अर्जुन राम ने अपने कार्यालय के पत्रांक 34 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 एवं पत्रांक 39 दिनांक 4 नवम्बर, 2015 द्वारा उक्त कार्य करने हेतु अमर टेण्ट हाउस, बालूमाथ को आदेश निर्गत किया गया था इस क्रम में अमर टेण्ट हाउस बालूमाथ द्वारा समर्पित विपत्र मो० 10,54,660/-(दस लाख चौवन हजार छः सौ साठ) रू० पारित किया गया था, परन्तु गलत मंशा से अमर टेण्ट हाउस, के विपत्र के स्थान पर श्री राम ट्रेडर्स, बरियातु का विपत्र श्री अर्जुन राम द्वारा पारित कर कोषागार, लातेहार से विपत्र संख्या-106/15-16,टी०भी० नं०-151 दिनांक 31 मार्च, 2016 द्वारा मो० 8,96,700/- (आठ लाख छियानब्बे हजार सात सौ) रू० की फर्जी निकासी की गई ।

आरोप सं०-6 (द्वितीय आरोप पत्र का आरोप सं०-3) - उक्त कार्य करने हेतु कार्यादेश अमर टेण्ट, बालूमाथ के नाम पर निर्गत किया गया था इस क्रम में कार्य अमर टेण्ट हउस, बालूमाथ के द्वारा ही किया गया है जबकि तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ श्री अर्जुन राम द्वारा फर्जी निकासी कर श्री राम ट्रेडर्स, बारियातु के 08 विपत्रों को पारित कर दिनांक 8 अप्रैल, 2016 को विभिन्न चेको के माध्यम से मेसर्स श्री राम ट्रेडर्स बारियातु को कुल मो० 8,96,700/-(आठ लाख छियानब्वे हजार सात सौ) रू. फर्जी भुगतान किया गया ।

उक्त आरोपों हेतु विभागीय आदेश सं०-7268, दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा श्री राम को निलंबित किया गया था तथा विभागीय संकल्प सं०-7294, दिनांक 23 अगस्त, 2016 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृति भ०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-01, दिनांक 2 जनवरी, 2017 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है ।

विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया गया जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य निम्नवत् है-

आरोप सं० -1 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- आरोपी के द्वारा अपने बचाव बयान में आरोप सं०-1 के संदर्भ में कुछ नहीं कहा गया है, अपितु दिनांक 14 अगस्त, 2010 को उप-समाहर्ता के रूप में श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची में प्रथम योगदान से लेकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चन्दवा के रूप में हुए पदस्थापन तक विभिन्न पदस्थापनों की तिथिवार एक विवरणी दी गयी है, जो प्रथम आरोप के संदर्भ में बिल्कुल ही अप्रांसगिक प्रतीत होता है । इसलिए उपस्थापन पदाधिकारी द्वारा भी उनके इस आप्रांसगिक बचाव बयान पर कोई मंतव्य नहीं दिया गया ।

इस आरोप के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत सरकार के उप-सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 926 दिनांक 17 फरवरी, 2016 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि झारखण्ड विधान सभा सचिवालय के ज्ञापांक 926, दिनांक 16 दिसम्बर, 2016 के द्वारा श्री प्रकाश राम, स०वि०स० द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2016 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या-112 के प्रश्नों की विवरणी अंकित करते हुए प्रश्न पूछे जाने की तिथि से पाँच दिन पूर्व लिखित उत्तर भेजने का अनुरोध ग्रामीण विकास विभाग से किया गया । तत्पश्चात् उप-सचिव, ग्रमीण विकास विभाग के पत्रांक 926 (अनु०)/ग्रा.वि. दिनांक 17 फरवरी, 2016 के द्वारा झारखण्ड विधान सभा सचिवालय का उपरोक्त पत्र संलग्न करते हुए उपायुक्त लातेहार से अविलम्ब फैक्स द्वारा उत्तर भेजने का अनुरोध किया गया । उक्त प्रश्नावली के प्रश्न संख्या-2 में अंकित है किः- 'क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के चन्दवा प्रखण्ड के तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री अर्जुन राम, नाजीर मुस्तफा, बड़ाबाबू श्री अरूण गहलौत द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2014 को एक ही एजेन्सी/एन.जी.ओ. (प्रो० संतोष कुमार गुप्ता, चुटिया, राँची) को चेक नं०- 51239 से 51247 तक कुल नौ चेक द्वारा लगभग 42 लाख रूपये की निकासी की गयी है ?' विधान सभा सचिवालय एवं ग्रामीण विकास विभाग के उपरोक्त पत्रों से प्रथम आरोप की पुष्टि होती है ।

आरोप सं०-2 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- आरोप सं०-2 के संदर्भ में आरोपी ने अपने बचाब बयान में लिखा है कि बालूमाथ प्रखण्ड में पदस्थापित रहने के दौरान प्रखण्ड पंचायती राज पदधिकारी के रूप में श्री रमा रमण प्रसाद सिंह, इंदिरा आवास योजना के सहायक के रूप में मो० ताहीर अली एवं नजारत का प्रभाव मो० इकबाल पदस्थापित थे । इन तीनों ने मिलकर ये बताया कि वर्ष 2010 के पूर्व इंदिरा आवास लाभुको को आवास के साथ 780 रू० की दर से धुम्ररहित चुल्हा व शौचालय सामग्री की राशि कटौती कर शेष राशि लाभुको को भुगतान किया जाता था । यह राशि रोकड़ बही में पड़ी हुई है । जिसके वजह से इंदिरा आवास लंबित पड़ा हुआ है । इस राशि से धुम्र रहित चुल्हा व शौचालय सामग्री की क्रय कर लाभुकों को देने से इंदिरा आवास पूर्ण हो जाएगा और लक्ष्य हासिल हो जाएगी। इसके लिए निविदा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इतने कम राशि की सामग्री के लिए निविदा निकालना नियमानुकूल नहीं है । रूपये 1,50,000 से उपर की सामग्री हेतु निविदा निकाली जाती है । इसके पश्चात इनलोगों ने एस.के. ट्रेडर्स के मेसर्स श्री संतोष कुमार गुप्ता को लाकर बात कराया और कहा कि इन्होनें पूर्व में भी इस तरह की सामग्री आपूर्ति करायी है । फलतः श्री गुप्ता को आदेश संख्या 207 दिनांक 25 जुलाई, 2014 द्वारा इंदिरा आवास एवं दीनदयाल आवास योजनाओं में धुम्र रहित चुल्हा व शौचालय सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आदेश दिया गया तथा निर्देशित किया गया कि इंदिरा आवास एवं दीनदयाल आवास योजनाओं में शौचालय सामग्री एवं धुम्ररहित चुल्हा आपूर्ति कार्य में भुगतान हेतु अभिश्रव संबंधित लाभुक से हस्ताक्षर कराकर प्रस्तुत करें । इस हेतु प्रखण्ड स्तर से पर्यवेक्षक श्री रमा रमण प्रसाद सिंह, प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी के जाँचोपरांत राशि की भुगतान की जाएगी ।

आरोपी का कहना है कि राशि के भुगतान के पूर्व आपूर्तिकर्ता श्री गुप्ता के द्वारा अभिश्रव उपस्थापित किया गया जो श्री रमा रमण प्रसाद सिंह के द्वारा सत्यापित किया गया था । सत्यापन के आधार पर आपूर्तिकर्ता को कुल 42,21,700/- (बयालिस लाख इक्कीस हजार सात सौ रूपये) का भुगतान किया गया । समय बीतने के बाद ग्रामीणों के द्वारा शिकायत के उपरांत जांच के क्रम में

पाया गया कि आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी लाभुक के आवास पर कोई भी शौचालय सामग्री व धुम्ररहित चुल्हा उपलब्ध नहीं कराया गया है तथा आपूर्तिकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव में लाभुकों का फर्जी हस्ताक्षरयुक्त अभिश्रव है ।

चन्दवा प्रखण्ड से संबंधित आरोप के संदर्भ में आरोपी के द्वारा बचाव बयान में कहा गया है कि मेसर्स संतोष कुमार गुप्ता ने चन्दवा के नाजीर व प्रधान सहायक से भी संपर्क साधा और उन्हें भी आपूर्ति संबंधी कार्य के बारे में प्रेरित किया । चन्दवा प्रखंड के संबंध में भी बालूमाथ प्रखंड की कहानी को दुहरायी गयी है । अन्तर सिर्फ इतना है कि चन्दवा प्रखंड में संबंधित पंचायत के मुखिया को सत्यापन के लिये दोषी माना गया है । चन्दवा प्रखंड से कुल रू० 41,69,880.00 (एकतालीस लाख उनहतर हजार आठ सौ अस्सी) रूपये भुगतान किया गया, इसे आरोपी के द्वारा स्वीकार किया गया है ।

आरोपी ने अपने बचाव बयान बालूमाथ प्रखंड में हुए अवैध भुगतान के लिये प्रखंड के तत्कालीन प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों श्री रमा रमण सिंह, कार्यालय के सहायक मो.ताहीर अली एवं नाजीर मो० इकबाल एवं चन्दवा प्रखंड में हुए अवैध भुगतान के लिये सम्बन्धित पंचायत के मुखिया, नाजिर मो० मुस्तफा अन्सारी एवं प्रधान सहायक श्री अरूण कुमार गहलौत को मुख्य रूप से दोषी बताया है । आरोपी के द्वारा प्रथम पदस्थापन रहने के कारण पर्यवेक्षण एवं कागजातों को ठीक से समझने में भूल होने के लिये अपने को जिम्मेवार माना गया है । आरोपी के बचाव बयान में चन्दवा प्रखंड के उपरोक्त तीनों कर्मियों एवे मेसर्स एस.के.ट्रेडर्स के विरूद्व की कार्रवाई के साक्ष्य के रूप में चार पत्रों की छायाप्रतियाँ संलग्न की गयी है । चन्दवा प्रखंड के संबंधित पंचायत के मुखिया अथवा किसी कर्मी के विरूद्व कोई कार्रवाई किये जाने का न तो बचाव वयान में कोई उल्लेख किया गया है और न साक्ष्य स्वरूप कोई कागजात ही संलग्न किया गया है ।

आरोपी के द्वारा बालूमाथ प्रखण्ड के तीन कर्मियों एवं आपूर्तिकर्ता के विरूद्व कृत कार्रवाई के प्रमाण के रूप में पत्रों की प्रति संलग्न कर आँख में धूल झोंकने का प्रयास किया गया है । बालूमाथ प्रखंड में भुगतान की कार्रवाई 2 जून 2014 से 22 जुलाई, 2014 तक हुई है आरोपी के द्वारा कथित कार्रवाई स्वरूप प्रस्तुत पत्रों के पत्रांक 641(A) 642(A)(B)(C) दिनांक 16 नवम्बर, 2015 तथा एक पत्र का पत्रांक 5 (मु०), दिनाँक 24 जून, 2016 है । पत्रांक में दिया गया A, B, तथा C एवं (मु०) ही इस तथ्य का संकेत करता है कि आरोपी के द्वारा अपने बचाव में ये पत्र बाद में तैयार किये गये है, जिसे बैकडेट में निर्गत किया गया है । फर्जीवाड़ा करने में आरोपी सिद्धहस्त प्रतीत होते है, किन्तु बचाव बयान में उन्होनें अपने को 'परमहंस' प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। उपरोक्त तथ्यों से आरोपी के विरूद्व गठित आरोप संख्या-2 पूर्णतः प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-3 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य-झारखण्ड सरकार वित्त विभाग के संकल्प के अवलोकन से स्पष्ट है कि सिर्फ 1,50,000.00/- (एक लाख पचास हजार) रूपये तक की निविदा को समाचार पत्र में प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है । मात्र सूचना पट पर निविदा प्रकाशित करनी है । आरोपी के द्वारा बगैर निविदा प्रकाशित किये बालूमाथ एवं चन्दवा प्रखण्ड को मिलाकर कुल रू० 83,91,580.00/- (तिरासी लाख एकानवे हजार पाँच सौ अस्सी) रूपये की सामग्री आपूर्ति करने का आदेश दिया गया, जो घोर वित्तीय अनियमितता है । इस आरोप का जिक्र आरोप संख्या-2 में भी

था। आरोप संख्या-2 के संदर्भ में विस्तृत मन्तव्य दिया गया है । उक्त मन्तव्य से आरोपी के विरूद्व यह आरोप भी पूर्णतः प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-4 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य-आरोपी के बचाव बयान में कहीं इस तथ्य का जिक्र नहीं किया गया है कि किस कागजात के आधार पर विपत्र की जाँच की गयी तथा विपत्र का सत्यापन किया गया । उन्होने कहा है कि कार्य के उपरान्त जब श्री गुप्ता के द्वारा विपत्र दिया गया तो उन्होने प्रधान सहायक के द्वारा पास किये गये अभिश्रव पर ही पास कर दिया । इस प्रकार आरोपी स्वयं स्वीकार कर रहे है कि उन्होने विपत्र सत्यापित करने से पहले किसी प्रकार की जाँच नहीं की ।

अमर टेंट हाउस के प्रो० श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता द्वारा उपायुक्त, लातेहार को दिये गये आवेदन में यह कहा गया है कि विपत्र का सत्यापन करने के लिये प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ द्वारा एक लाख रूपये नगद उनसे लिया गया । उप विकास आयुक्त, लातेहार की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन में भी यह कहा गया है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ, बारियातू एवं हेरहंज के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान पार्टी मिलान हेतु +2 उच्च विद्यालय बालूमाथ में टेन्ट, शामियाना, लाईट एवं अन्य व्यवस्थामूलक कार्य हेतु अमर टेन्ट हाउस द्वारा समर्पित विपत्र की राशि मो विकास 15,16,769,00/-रूपये बिना सम्यक् जाँच के सम्पूर्ण राशि के भुगतान की अनुशंसा संयुक्त रूप से की गयी, इससे तीनों प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों द्वारा विपत्र के सत्यापन के एवज में राशि मांगने की बात को मिलता है ।

श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता के द्वारा दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 मेरे समक्ष उपस्थित होकर एक लाख रूपये आरोपी को घूस में दिये जाने की बात कही गयी । यद्यपि श्री गुप्ता के द्वारा कथित इस तथ्य की पुष्टि कमिटी के रिपोर्ट के अवलोकन से नहीं होती है कि आरोपी ने घूस लेने की बात कमिटी के सामने कबूल की थी ।

आरोपी के द्वारा बिना कोई जांच किये शतप्रतिशत राशि के भुगतान की अनुशंसा कर दी गयी इससे यह प्रमाणित होता है कि उन्होनें निश्चित रूप से श्री दुर्गा प्रसाद गुप्ता से राशि ली थी । आरोपों के जैसे-जैसे काले कारनामे प्रकाश में आये है, उसके सामने एक लाख रूपये घूस के रूप् में लिये जाने की बात तो बहुत छोटी है । अतः आरोपी के विरूद्व चतुर्थ आरोप भी प्रमाणित होता है ।

आरोप सं०-5 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य- आरोपी ने अपने बचाव बयान में अमर टेन्ट हाउस को कार्यादेश देने तथा उन्हीं के द्वारा कार्य किये जाने की बात स्वीकार की है, किन्तु उनका कहना है कि 31 मार्च, 2016 को जब विपत्र पास कर ट्रेजरी कोड के लिये झारनेट में इन्ट्री किया गया तो श्री गुप्ता के TIN No. में कोई गड़बड़ी या Taxation में किसी गड़बड़ी के कारण ट्रेजरी कोड नहीं मिला । चुकि श्री राम ट्रेडर्स के द्वारा बारियातू प्रखण्ड में कार्य किया गया था तथा उनका ज्प्छ छव सही था, इसलिये श्री गुप्ता के द्वारा टेलीफोन पर सहमति दिये जाने के पश्चात श्री राम ट्रेडर्स के विपत्र पर राशि की निकासी एवं वाद में राशि का हस्तान्तरण श्री गुप्ता को कर दिये जाने पर वे (आरोपी) सहमत हुए । श्री राम ट्रेडर्स बारियातु के द्वारा 4.5 लाख रूपये श्री गुप्ता को वापस किया गया । आरोपी का कहना है कि उन्होनें किसी गलत मंशा से दूसरे विपत्र में राशि की निकासी नहीं की और न किसी से रिश्वत ली है ।

प्रस्तुत साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ के कार्यालय आदेश पत्रांक 34 दिनांक 29 अक्टूबर, 2015 एवं कार्यालय आदेश पत्रांक 39 नि. दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के द्वारा अमर टेन्ट, हाउस, बालूमाथ को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के क्रम में प्रखण्ड अंतर्गत विभिन्न कलस्टरों तथा प्रखण्ड अंतर्गत डिस्पैच सेक्टर में टेन्ट, लाईट ,गद्दा, जेनेरेटर, कुर्सी टेबुल आदि की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया । अमर टेन्ट हाउस का विपत्र पारित भी किया गया, किन्तु अमर टेन्ट हाउस के पारित विपत्रों की राशि की निकासी कोषागार से नहीं की गयी, अपितु साहु स्वीटस एवं भोजनालय बारियातु का एक विपत्र रू० 36,000/- एवं श्री राम ट्रेडर्स, बारियातु के सात विपत्रों के द्वारा रू० 8,60,700.00/- रूपये कुल रू०- 8,96,700.00/- (आठ लाख छियानवे हजार सात सौ) रूपये की विपत्र संख्या 106/15-16 से निकासी कर श्री पंकज कुमार को भुगतान दिखायी गयी है । इस प्रकार टेन्ट आदि का कार्य अमर टेन्ट हाउस के द्वारा किया गया, किन्तु राशि की निकासी कोषागार से करने के बावजूद उन्हें राशि का भुगतान नहीं किया गया । आरोपी के द्वारा कहा गया कि मेसर्स अमर टेन्ट हाउस को श्री राम ट्रेडर्स के पंकज कुमार के द्वारा 4.5 लाख रूपये वापस किये गये, किन्तु अमर टेन्ट हाउस के प्रो० श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता के द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई राशि नहीं मिली है । आरोपी के द्वारा श्री द्वारिका प्रसाद गुप्ता को कथित राशि की वापसी के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य भी नहीं प्रस्तुत किया गया । अतः आरोपी के द्वारा गम्भीर वित्तीय अनियमितता बरतते हुए धोखाधड़ी का कार्य किया गया है ।

आरोप सं०-6 पर संचालन पदाधिकारी का मंतव्य-छठा आरोप (द्वितीय आरोप-पत्र का क्रमांक-3) में पाँचवे आरोप में वर्णित फर्जी भुगतान की राशि कुल 8,96,700.00/-(आठ लाख छियानवें हजार सात सौ) रूपये का विपत्रवार ब्यौरा दिया गया है, जो प्रस्तुत साक्ष्यों से प्रमाणित होता है ।

श्री राम विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए विभागीय पत्रांक-6313, दिनांक 18 मई, 2017 द्वारा श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी ।

श्री राम से द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक-7648, दिनांक 29 जून, 2017 एवं पत्रांक-10153, दिनांक 25 सितम्बर, 2017 द्वारा स्मारित किया गया तथा पत्र में यह अंकित किया गया कि द्वितीय कारण पृच्छा का उत्तर अप्राप्त रहने पर यह माना जायेगा कि आपको इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और एकपक्षीय निर्णय ले लिया जायेगा । फिर भी श्री राम द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया गया है ।

अतः श्री राम से उत्तर अप्राप्त रहने के कारण झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है ।

तद्नुसार, विभागीय पत्रांक-12531, दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची से श्री राम को सरकारी सेवा से मुक्त किये जाने संबंधी दण्ड अधिरोपित किये

जाने पर सहमति की माँग की गयी । झारखण्ड लोक सेवा आयोग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-49, दिनांक 8 जनवरी, 2018 द्वारा उक्त प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी है ।

तत्पश्चात् दिनांक 7 फरवरी, 2018 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में श्री राम को सरकारी सेवा से मुक्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है ।

अतः श्री अर्जुन राम, झा०प्र०से० (तृतीय बैच, गृह जिला-लोहरदगा), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बालूमाथ एवं चंदवा,लातेहार, सम्प्रति-निलंबित को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(x) के तहत् सरकारी सेवा से मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्य प्रकाश)
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्याःBHR/BAS/2502

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 760 -- 50